समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

–: आदेश :–

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 89/आ०प्र०, दिनांक– 29. 12.2014 के चालू वित्तीय वर्ष 2014 –15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य –02 – बाढ़ चकावात आदि , लधु शीर्ष –101– अनुग्राहिक राहत ,उपशीर्ष –0003 – संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड – एन0–224502101 0003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0–03,00,000/– **(तीन लाख)**रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है । यह आवंटन अंचल सिंहेश्वर में अचानक आँधी में पेड़ गिर जाने के कारण मृत व्यक्तियों के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :–

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	शून्य	3,00,000/–	3,00,000/–
	कुल योग :–		3,00,000/–	3,00,000/–

(मो0 तीन लाख रूपये)

उपावंटन की शर्ते :–

1. यह आवंटन दिनांक 27.04.14 को अचानक आये आंधी (तुफान) के मद्देनजर अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर के अभिलेख संख्या 01/14–15 एवं 02/14–15 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
2. उपरोक्त आवंटन आदेश वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561वि0(2)दिनांक 17–04–1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
3. इस राशि का व्यय मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य –02 – बाढ़ चकावात आदि , लधु शीर्ष –101– अनुग्राहिक राहत ,उपशीर्ष –0003 – संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड – एन0–224502101 0003 मांग संख्या 39 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

5. उप आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपआवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेबार होंगे ।

6. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय । अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय । अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करायी जाय।

7. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य बजट शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लधु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित कियाा जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे ।

8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक -15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए ।

ह०

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 01 दिनांक 01.01.15

प्रतिलिपि : - अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपूरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन , बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

ह० 1/1/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।